

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप सं०-सी०/ई०एच०-59/2016.....जे०, पटना, दिनांक-.....,

॥ शुद्धि पत्र ॥

विधि विभागीय पत्रांक-7029/जे०, दिनांक-01.12.2016 में क्रमांक-1 पर अंकित अधिवक्ता का नाम “श्री रंजय कुमार” के स्थान पर “श्री रंजय कुमार सिंह” पढ़ा जाय।

2. इस हद तक इसे संशोधित समझा जाय।

3. विधि विभागीय पत्रांक-7029/जे०, दिनांक-01.12.2016 की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

ह०/-

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....1946/जे०,

पटना, दिनांक...10-04-17

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना/श्री अब्बास हैदर, स्थायी समुपदेशक संख्या-06, महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

06-04-17